निर्णय बइजलास न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा श्री किशन लाल मीना RAS. द्वारा उद्घोषित

दावा नम्बर :- 174/2012

दायरा दिनांक :- 11-10-2012

निर्णय दिनांक :- 16-12-2015

उनवान

1- मंगल जी पुत्र बुद्धा जाति लोधा निवासी - हाल मोतीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

2. दौलतराम पुत्र जगन्नाथ जाति लोधा निवासी हाल मोतीपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

[वादीगण]

V/S.

1- किशन लाल उर्फ रामकिशन पुत्र बुद्धा जाति लोधा निवासी हाल- ग्वालकपुरा,

2- भोला पुत्र, (3) मोतीराम पुत्र (4) शारदा बाई बेवा, समस्त के पिता- पति प्रेम जाति लोधा निवासी हाल मोतीपुरा तह० छबड़ा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार- छबड़ा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा- 88, 89, 53, 91A R.T.A.

वादीगण के वाद का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है, कि वाके मौजा ग्वालकपुरा खसरा नं० 201, रकबा 15 बीघा पैत्रिक कृषि आराजी स्थित है। आराजी वादी प्रतिवादी वादीगण के पिता बुद्धा द्वारा निर्मित व कब्जे काश्त की थी, बुद्धा का बड़ा बेटा किशनलाल है जन्म से बेरे हे, मंगल व जगन्नाथ नाबालिग थे, बुद्धा ने अपने कब्जे काश्त की जमीन स्वयं की मरजी से अपने बालिग पुत्र किशनलाल के नाम करा दी थी।

16/12/15

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

निरन्तर - 2

उक्त आराजी बुद्धा ने अपने मरने से पहले अपने तीनो पुत्रो को बराबर हिस्सा 1/3 मौखिक हिस्सा विभाजन कर अलग-अलग कब्जे में दे दी थी, तब से बुद्धा के तीनो पुत्र हिस्से के अनुसार 5.5 बीघा जमीन को काश्त करते आ रहे है। किशनलाल ने अपने दोनो छोटे भाइयो को धमकी दी कि जमीन छीन ली जायेगी, वादी गण हिस्सा खातेदारी में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के स्वत्वाधिकारी अधिकारी है। इसलिए वाद, घोषणात्मक खातेदारी अधिकार बटवारा व निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर न्यायालय किया किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी नं.1 किशनलाल उपस्थित आया जरिये अभिभाषक जवाब दावा पेश किया, जिसके विशेष कथन में कहा है कि प्रतिवादी नं.1 किशनलाल उर्फ रामकिशन आत्मज बुद्धा भूमि हीन व्यक्ति होने से राज्य सरकार द्वारा उक्त विवादित आराजी आवंटन कर खातेदारी में दी गयी थी। उक्त आराजी पेड़-पौधे काटकर, ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल करवा कर उपजाऊ बनाया था। आवंटन के समय से आज तक प्रतिवादी नं.1 निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। जमीन के भाव वर्तमान में आसमान छू रहे है, इसलिए वादीगण विवाद करना चाहते है। अन्य प्रतिवादी गण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है।

तदउपरान्त तनकीयात कायम की गयी जिसका उल्लेख आगे विवेचन के समय लिखा जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

सिरस्तेदार - 3

(3)

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निम्न प्रकार है।

1. नकल फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम खातकपुरा खाता नं. 5 सम्वत् 2068-71
2. पंचनामा ग्राम मालीपान
3. नकल नोटिस 80 CPC
4. फोटो प्रति आई. डी.
5. फोटो प्रति राशन कार्ड

साक्ष्य वादी शपथ पत्र PW-1 चतुर्भुज, PW-2 भागचन्द, PW-3 दौलतराम, PW-4 काबूराम के पेश किये जिरह पूर्ण करवायी।

प्रतिवादी नं. 1 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम खातकपुरा खाता नं-5 सम्वत 2068-71 अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 201, रकबा 15 बीघा प्रतिवादी नं. 1 किशनलाल पुत्र बुद्धा कौम मीणा के खातेदारी दर्ज है। Ex P-1 है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी DW-1 किशनलाल, DW-2 परसराम, DW-3 अमरलाल, DW-4 मदनलाल के शपथ पत्र पेश किये जिनकी जिरह पूर्ण करवायी गयी।

तदुपरान्त उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

बहस वकील वादी :- वाद पत्र के मुख्य बिन्दुओं को दोहराते हुआ कहा कि विवादित आराजी वादी. प्रतिवादी नं. 1 के पिता बुद्धा ने अपने बड़े पुत्र किशनलाल के आवंटन करवा दी थी क्योंकि वादीगण उस समय नाबालिग थे लेकिन उनके जीवन काल में ही आपसी समझौते से तीनों पुत्रों में आराजी का विभाजन कर 5-5 बीघा जमीन दे दी थी, तब से काश्त करते आ रहे हैं, इसलिए अपने हिस्से की आराजी पर वादीगण खातेदारी अधिकार रखते हैं, वाद स्वीकार करावें।

निरन्तर - 4

V 1/6/14

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

बहस वकील प्रतिवादी :- जवाब दावे के मुताबिक बिन्दुओं को दोहराते हुए कहा कि प्रतिवादी न. 1 किशनलाल उर्फ श्याम किशन खातेदार कुड़ा कृषि हीन व्यक्ति होने से सरकार द्वारा उक्त आराजी आवंटन की थी तब से प्रतिवादी न. 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी ने उक्त आराजी को समतल करवा कर उपजाऊ बनवाया है। भूमि की कीमत अधिक हो जाने से वादी गण जमीन हड़पना चाहते हैं। इसलिए वादी का वाद खारिज करवाये।

हमने उभय पक्षकारान बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। निम्नानुसार तनकी वार विवेचन किया।

तनकी न. 1 :- क्या वाद पत्र के मद न. 1 मे वर्णित आराजी मे वादी मगन जी का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 जगनाथ के दोनो पुत्र दोलत, प्रभू के नाम घोषित किया जा सकता है? इसका भार वादीगण पर था। :-

इस की पुष्टि मे कोई दस्तावेज, सबूत पेश नही किये हैं। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे सिद्ध नही होती है।

तनकी न-2 :- क्या वाद पत्र के मद न. 1 मे वर्णित आराजी कुड़ा द्वारा निर्मित की है, इसलिए कुड़ा के तीनो पुत्रो मे विभाजित हो इस तनकी का भार वादीगण पर था। :-

इस की पुष्टि मे दस्तावेज- सबूत पेश नही है। इसलिए यह तनकी भी सिद्ध नही हो पायी।

तनकी न-3 :- क्या विवादित आराजी किशनलाल के खाते कब्जे काश्त है, जिस पर वादीगण का अधिकार नही है। इसका भार प्रतिवादी न. 1 पर था। :-

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब, दस्तावेज, साक्ष्यो से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी न. 1 किशनलाल के खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी प्रतिवादी न. 1 के पक्ष मे सिद्ध होती है।

16/4/1?

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

निरन्तर - 5

व्यय साक्षी

इस प्रकार मुख्य रूप से यह तथ्य प्रगट होते है कि वाद पत्र के मद नं. 1 मे वर्णित आराजी ग्राम रवालकपुरा तहसील छबड़ा खसरा नं. 201, रकबा 15 बीघा मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2068-71 खाता सं. 5 खातेदार प्रतिवादी नं. 1 किशन लाल पुत्र बुद्धा कौम मीना सा० देह के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। इसलिए वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नही होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

समस्त विवेचनानुसार आराजी ग्राम रवालकपुरा तह० छबड़ा खसरा नम्बर 201, रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध मे वादीगण का प्रस्तुत वाद मेन्टेनेबल नही होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री परचा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16/11/16

(चिमन लाल मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

डिक्री

...ख्या 174/2012	धारा अंतर्गत 88, 89, 53, 91 A RTA	निर्णय दिनांक 16-12-2015	
...क्ष :- श्री किशन लाल मीना RAS			
उपस्थिति :- अभिभाषक वादी Sh. D. R. Meena Ad.		अभिभाषक प्रतिवादी A. L. L. Ad.	

वाद शीर्षक

1. मांगीलाल पुत्र बुद्धा जाति लोधा निवासी हाल मोतीपुरा तह० छबड़ा जिला-बारां (राज.)
2. दौलतराम पुत्र जगनाथ जाति लोधा निवासी हाल मोतीपुरा तह० छबड़ा जिला बारां (वादीगण)

V/S

1. किशन लाल उर्फ रामकिशन पुत्र बुद्धा जाति लोधा निवासी हाल-खातकपुरा
2. भोला पुत्र प्रभु जाति लोधा निवासी हाल खातकपुरा तह० छबड़ा
3. मोतीराम पुत्र ———— do ————
4. दारवा बाई बेवा — do ————
5. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार छबड़ा. [प्रतिवादीगण]

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरुप डिक्री निर्गत की जाती है कि

समस्त विवेचनानुसार भारतीय ग्राम खातकपुरा तह० छबड़ा खसरा नं० 201, रकबा 15 बीघा के सम्बन्ध में वादीगण का प्रस्तुत वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री परचा जारी किया।

साथ ही निम्नानुसार ....✗............ रु. का व्ययानुतोष ....✗............ द्वारा ✗ .... को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 16/12/2015 को निर्गत किया गया।

16/12/15

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज(%)		
	योग		